



टी बोर्ड भारत

14, बी.टी.एम. सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता-700001
14 B. T. M. Sarani (Brabourne Road), Kolkata 700001
www.teaboard.gov.in

फाइल सं. एलसी-ईनीलामी0 एमएमपीआई।1।2025अनुज्ञापन/

दिनांक 26.03.2026

परिपत्र

विषय: 31 दिसंबर, 2025 के बाद एक (1) वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए 100% अवशिष्ट चाय की नीलामी हेतु संशोधित एसओपी

100% अवशिष्ट चाय नीलामी पहल के कार्यान्वयन से संबंधित, परिपत्र संदर्भ सं. 6(29)/एलसी/नीलामी/अवशिष्ट चाय/2024/893 दिनांक 02.05.2025 के माध्यम से जारी 'मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एवं परिपत्र सं. 6(29)/एलसी/नीलामी/अवशिष्ट चाय/2024/1043 दिनांक 27.08.2025 के माध्यम से जारी, इसके बिंदु सं. 1 और 8 के बाद के संशोधन का संदर्भ दिया गया है।

उपर्युक्त अवधि विस्तार के दौरान 100% अवशिष्ट चाय की नीलामी के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु, दिनांक 09.03.2025 को आयोजित अवशिष्ट चाय समिति की बैठक में एसओपी पर विचार-विमर्श किया गया। इस विचार-विमर्श के आधार पर, एसओपी के बिंदु सं. 1 और 8 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

- 31 दिसंबर, 2025 के बाद की फैंक्ट्री गेट पास तिथि वाली सभी 'अवशिष्ट चाय' अनिवार्य नीलामी के दायरे में आएंगी: यह व्यवस्था 23.02.2024 की राजपत्र अधिसूचना सं. एस.ओ.854(ई) और 13 जनवरी, 2026 को 'टी बोर्ड' द्वारा जारी आदेश (संदर्भ सं. 6(29)/एलसी/नीलामी/अवशिष्ट चाय/2024/6674 के अनुसार लागू होगी।
- चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा 28(1) के अनुसार, कोई भी निर्माता ऐसी चाय का उत्पादन नहीं करेगा जो खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 (समय-समय पर संशोधित) या उस समय लागू किसी अन्य नियम में निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप न हो। अतः जो चाय एफएसएसआई द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन करने में विफल रहती है, उसे बिक्री की तिथि से पहले, ब्रोकर्स द्वारा टी बोर्ड को सूचित करते हुए, नीलामी से हटा दिया जाएगा। जिन मामलों में प्रतिबंधित कीटनाशक पाए जाते हैं, ऐसी चाय को टी बोर्ड द्वारा मौजूदा प्रथा के अनुसार नष्ट कर दिया जाएगा। प्रतिबंधित कीटनाशकों के अलावा अन्य कारणों से एफएसएसआई की विशिष्टताओं को पूरा करने में विफल रहने वाली चाय के लिए, विक्रेताओं को उनके अनुरोध पर, पुनः परीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी। यदि चाय पुनः परीक्षण में पास हो जाती है, तो उसे नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए अनुमति दी जा सकती है। यदि चाय पुनः परीक्षण में विफल हो जाती है, तो विक्रेता मौजूदा प्रथा के अनुसार, अवशिष्ट चाय को नष्ट करवाने के लिए टी बोर्ड से संपर्क करेंगे। 8.8।

दिनांक 02.05.2025 के परिपत्र के माध्यम से जारी एसओपी के अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे। 100 % अवशिष्ट चाय की नीलामी के कार्यान्वयन के लिए, मौजूदा एसओपी के साथ-साथ उपरोक्त संशोधित प्रावधानों का भी सख्ती से पालन किया जाएगा।

सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र की सामग्री को अनुपालन हेतु अपने सदस्यों के संज्ञान में लाएं।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

समरेश मंडल

(समरेश मंडल)

अनुज्ञापन नियंत्रक (प्रभारी)

वितरण: (अगले पृष्ठ पर)

वितरण :

1.	सभी चाय उत्पादक संघ	उनके सदस्यों के बीच सूचनार्थ एवं परिसंचरण हेतु
2.	सभी क्रेता संघ	
3.	सभी चाय निर्यातक संघ	
4.	सभी पंजीकृत नीलामी आयोजक	
5.	चाय नीलामीकर्ताओं का संघ (एटीए)	
6.	सभी भांडागार संघ	
7.	सभी लघु चाय उत्पादक संघ	
8.	समिति के सदस्य	कृपया सूचनार्थ
9.	कार्यकारी निदेशक, कून्नूर एवं गुवाहाटी	
10.	उ नि चा वि, सिलीगुड़ी	
11.	प्रणाली विश्लेषक	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु